<u>प्ररूप–2</u>

ग्रामः
ई–मेल

फोनः
फैक्सः

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,मुजफ्फरनगर

संख्याकः एन जी–मान्यता/575/2013-14 तारीखः 13-7-2013

प्रबन्धक,

मदर लैण्ड पब्लिक स्कूल
मनफोडा,वि0ख0 जानसठ, मुजफ्फरनगर।

विषयः– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2001 के नियम 15 के उपनियम(4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 02.07.2011 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं, मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनाक 29.06.2013 में लिए गये निर्णय के अनुक्रम में श्री शिवकुमार, खण्ड शिक्षा अधिकारी, शाहपुर, मुजफ्फरनगर के पत्रांकः 130 / 2013–14 दिनांक 12.07.2013 द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर **मदर लैण्ड पब्लिक स्कूल मनफोडा,वि0ख0 जानसठ, मुजफ्फरनगर** को तारीख 29.06.2013 से तारीख 28–06–2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री–प्राइमरी कक्षा से जूनियर हाई स्कूल तक **(अंग्रेजी माध्यम)** के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता है।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1– मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2– विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2001(उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3– विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थित,नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–हीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4– पैरा 3 से निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5– सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।

6– विद्यालय किसी बालक को उसी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।